राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन, जयपुर

क्रमांक एफ 1(43)लेखा/बजट/2020–21/17183–17286 दिनांक 23/9/2020

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पशुपालन विभाग,राजस्थान ।

विषय :– राजकीय व्यय में मितव्यता
प्रसंग :– वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 9(1)वित्त.–1(1)आ.व्यय/2020 दिनांक 03 सितम्बर 2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 9(1)वित्त.–1(1)आ.व्यय/2020 दिनांक 03 सितम्बर 2020 की प्रति मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रपेषित की जा रही है। व्यय में परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।

सलंग्न :–
उपरोक्तानुसार

(दुर्गेश राजोरिया)
वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. संयुक्त निदेशक (योजना)/समस्त योजना प्रभारी निदेशालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. ACP निदेशालय को प्रेषित कर लेख हे कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोउ कराने का श्रम करावें।

वित्तीय सलाहकार

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांकःप.9(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2020 जयपुर, दिनांक : 03 सितम्बर, 2020

परिपत्र

विषय :– राजकीय व्यय में मितव्ययता।

कोविड–19 महामारी की चुनौती से लड़ने हेतु चिकित्सा सुविधाओं के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना तैयार किये जाने तथा महामारी से प्रभावित वर्ग को सहायता उपलब्ध कराने हेतु, जहां एक ओर, अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की महती आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर, देशव्यापी लॉकडाउन के कारण औद्योगिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक गतिविधियां एवं सेवा क्षेत्र के महत्तवपूर्ण घटकों के कार्यकलापों में अत्यधिक शिथिलता आने से राज्य की राजस्व प्राप्तियों में कमी हुई है।

उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत राज्य के सीमित संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाना आवश्यक है। यह तभी संभव है कि जब राज्य के सभी कार्यकलापों में कुशल प्रबंधन अपनाते हुए मितव्ययता बरती जाये।

कोविड–19 महामारी के कारण राज्य के वित्तीय संसाधनों पर पड़ने वाले असाधारण प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजकीय व्यय के विनियमन हेतु पूर्व में जारी किए गए मितव्ययता परिपत्रों की निरन्तरता में निम्नलिखित दिशा–निर्देश तुरन्त प्रभाव से जारी किये जाते हैं :–

1. **संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर व्यय को सीमित किया जाना –**

   (i) वर्ष 2020–21 के विभिन्न बजट मदों यथा–कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय, मुद्रण एवं लेखन, प्रकाशन, पुस्तकालय एवं पत्र–पत्रिकाओं पर व्यय हेतु बजट में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष विभागों द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय को 70 प्रतिशत तक सीमित किया जायेगा तथा इन मदों में किसी भी स्थिति में पुनर्विनियोजन द्वारा धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।

   (ii) वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट में POL मद में स्वीकृत प्रावधान के विरूद्ध व्यय को 90 प्रतिशत तक सीमित किया जायेगा।

   (iii) राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को देय उपार्जित अवकाश के एवज में नकद भुगतान की नई स्वीकृतियां इस वित्तीय वर्ष में जारी किया जाना स्थगित रखा जायेगा।

(iv) समस्त राजकीय कार्यक्रम, भूमि पूजन तथा उद्घाटन समारोह आदि सादगी एवं सम्पूर्ण मितव्ययता बरतते हुए, जहां तक संभव हो, वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित किये जायेंगे।

(v) राजकीय भोज के आयोजन पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध रहेगा।

(vi) उपहार क्रय तथा सत्कार/आतिथ्य व्यय पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध रहेगा।

2. राजकीय यात्रा –

(i) शासकीय कार्यों के लिए की जाने वाली यात्राओं को आवश्यक एवं अपरिहार्य कार्यों की पूर्ति हेतु न्यूनतम रखा जावे तथा यथासंभव विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित की जावे।

(ii) जो अधिकारी हवाई यात्रा के लिए अधिकृत हैं, इकानॉमी क्लास में ही यात्रा करेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक्जीक्यूटिव/ बिजनेस क्लास में यात्रा पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी।

(iii) विमान किराये पर लेने पर प्रतिबंध रहेगा। विशेष परिस्थितियों में विमान किराये पर लेने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति आवश्यक होगी।

(iv) राजकीय व्यय पर विदेश यात्रा पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

3. क्रय पर प्रतिबन्ध –

(i) कोविड–19 महामारी को फैलने से रोकने, संक्रमितों के उपचार तथा महामारी से पीड़ितों की सहायता हेतु आवश्यक सामग्री/उपकरणों के क्रय को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार की मशीनरी और साज सामान/औजार एवं संयंत्र तथा New Items के क्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। योजनान्तर्गत प्रावधित केवल Functional Equipments, जो कि योजना के संचालन हेतु आवश्यक हैं, का क्रय किया जा सकेगा।

(ii) वाहनों के क्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।

4. योजनाओं पर व्यय –

(i) जिन कार्यों/योजनाओं हेतु भारत सरकार से राशि प्राप्त हो चुकी है उन योजनाओं/निर्माण/गतिविधियों में राज्य निधि की धनराशि आवश्यतानुसार चरणों में उपलब्ध कराई जायेगी।

(ii) वर्तमान विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत सभी विभागों द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की समीक्षा की जाकर राज्य निधि से वित्त पोषित उन्हीं योजनाओं को इस वित्तीय वर्ष में क्रियान्वित किया जाये, जो अपरिहार्य प्रतीत होती है। इस हेतु विभाग अपने स्तर पर समीक्षा कर प्रभारी मंत्री महोदय के अनुमोदन उपरान्त प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे।